पत्रांक– 06/वि० 9–80/2015..........

"अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित"

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक : ..../

विषय :– राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में one time75% उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजकीय, राजकीयकृत एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा I से VIII में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹1,36,77,67,200 (एक अरब छत्तीस करोड़ सत्तहतर लाख सड़सठ हजार दो सौ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम छः माह के लिए ₹68,38,83,600/– (अड़सठ करोड़ अड़तीस लाख तिरासी हजार छः सौ रुपये) की विमुक्ति के उपरांत आवंटित राशि अंतर्गत्त अवशेष राशि से आगामी छः माह (द्वितीय किस्त) के लिए राशि की विमुक्ति एवं इस योजनान्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत तथा आवंटित राशि अंतर्गत अवशेष राशि से आगामी छः माह (द्वितीय किस्त) के लिए राशि की विमुक्ति की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में one time75% उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजकीय, राजकीयकृत एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा I से VIII में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹1,36,77,67,200 (एक अरब छत्तीस करोड़ सत्तहतर लाख सड़सठ हजार दो सौ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम छः माह के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–15 दिनांक–11.07.15 द्वारा ₹68,38,83,600/– (अड़सठ करोड़ अड़तीस लाख तिरासी हजार छः सौ रुपये) की विमुक्ति के उपरांत राशि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित राशि अंतर्गत अवशेष राशि से आगामी छः माह (द्वितीय किस्त) के लिए राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस क्रम में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–34 दिनांक– 22.07.15 द्वारा ₹12,24,32,100/– (बारह करोड़ चौबीस लाख बत्तीस हजार एक सौ रुपये), स्वीकृत्यादेश संख्या–46 दिनांक– 30.07.15 द्वारा ₹1,16,50,800/–(एक करोड़ सोलह लाख पचास हजार आठ सौ रुपये) तथा स्वीकृत्यादेश संख्या–53 दिनांक– 08.08.15 द्वारा ₹55,43,400/–(पचपन लाख तैंतालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र राशि के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति राज्य सरकार द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि के नियम – 6बी के तहत प्रदान की गई थी। इसके तहत भी आवंटित राशि अंतर्गत अवशेष राशि से आगामी छः माह (द्वितीय किस्त) के लिए राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उक्त स्वीकृत एवं आवंटित राशि अंतर्गत अवशेष राशि से अगामी छः माह (द्वितीय किस्त) के लिए छात्रवृत्ति मद में राशि की विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि के व्यय का विकलन पूर्व की भांति ही मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृत्तियां एवं प्रोत्साहन, उप शीर्ष–0105–प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति, विपत्र कोड P2202011090105, विषय शीर्ष–34 01–छात्रवृत्ति/वजीफा में उपबंधित राशि से होगा।

4. राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयानुसार राजकीय, राजकीयकृत सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य कोटि के छात्राओं के लिए कक्षा I से IV तक के लिए प्रति छात्रा ₹50/– प्रतिमाह की दर से, कक्षा V से VI तक के लिए प्रति छात्रा ₹100/– प्रतिमाह की दर से तथा कक्षा VII से VIII तक के लिए प्रति छात्रा ₹150/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है।

5. (I) योजना का कार्यान्वयन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावित राशि से संबंधित आवश्यकतानुसार संशोधित आवंटन निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना) को उपलब्ध करायी जायेगी। तदुपरान्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना) के द्वारा राशि का उपावंटन संबंधित प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किया जायेगा। प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा लाभुक छात्राओं की सूची संलग्न कर विद्यालयवार राशि की निकासी संबंधित कोषागार से BTC-43 विपत्र पर की जायेगी। उक्त सूची में छात्राओ का नाम, माता/पिता का नाम एवं पता, कक्षा, क्रमांक, योजना का नाम, अवधि, छात्रवृत्ति की दर, बैक खाता संख्या/ माता/पिता का खाता संख्या, IFSC Code एवं कुल राशि का विवरण सूची संलग्न की जायेगी। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा तैयार किए जानेवाले उक्त सूची में यह भी अंकित किया जायेगा कि लाभुक छात्राओं नामांकित एवं अध्ययनरत है। स्वीकृत राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा अंतर्गत संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना) द्वारा महालेखाकार कार्यालय में विधिवत् जमा कराया जाएगा।

छात्रवृत्ति की राशि लाभुक छात्राओं अथवा उनके माता/पिता के खाते में अंतरित की जानी है। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि का वितरण नहीं किया जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लाभुकों की सूची बैंक खाता संख्या के साथ अपने संबंधित बैंक को उपलब्ध करायेंगे, ताकि बैंक लाभुक छात्राओं उक्त सूची (Advice) के अनुरूप एक साथ RTGS/NEFT के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि अंतरित करेंगे।

(II) योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी होगी। राज्य स्तर पर यह कार्य निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(III) इस मद की राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–../ दिनांक–............................/

प्रतिलिपि– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक ज्ञापांक–..............97............/ दिनांक–27/1/16.../

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, व्यय शाखा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (यो० एवं ले०)/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/सभी प्रखण्ड के चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक निदेशक (योजना), शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/1/16
संयुक्त सचिव।

पत्रांक– 06/वि० 9–62/2015..........

"अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित"

बिहार सरकार

<u>शिक्षा विभाग</u>

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक : ..../

विषय :– **राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में one time75% उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजकीय, राजकीयकृत एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा I से VIII में अध्ययनरत सामान्य कोटि के वैसे छात्र (बालक) जिनका पारिवारिक आय 1.5 लाख तक प्रतिवर्ष है, से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹1,20,87,62,000 (एक अरब बीस करोड़ सतासी लाख बासठ हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम छः माह के लिए ₹60,43,81,000/– (साठ करोड़ तैंतालीस लाख एकासी हजार रुपये) की विमुक्ति के उपरांत आवंटित राशि अंतर्गत अवशेष राशि से आगामी छः माह (द्वितीय किस्त) के लिए राशि की विमुक्ति एवं इस योजनान्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत तथा आवंटित राशि अंतर्गत अवशेष राशि से आगामी छः माह (द्वितीय किस्त) के लिए राशि की विमुक्ति की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में one time75% उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजकीय, राजकीयकृत एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा I से VIII में अध्ययनरत सामान्य कोटि के वैसे छात्र (बालक) जिनका पारिवारिक आय 1.5 लाख तक प्रतिवर्ष है, से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹1,20,87,62,000 (एक अरब बीस करोड़ सतासी लाख बासठ हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम छः माह के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–14 दिनांक–11.07.15 द्वारा ₹60,43,81,000/– (साठ करोड़ तैंतालीस लाख एकासी हजार रुपये) की विमुक्ति के उपरांत राशि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित राशि अंतर्गत अवशेष राशि से आगामी छः माह (द्वितीय किस्त) के लिए राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस क्रम में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–33 दिनांक–22.07.15 द्वारा ₹10,68,78,200/– (दस करोड़ अड़सठ लाख अठहत्तर हजार दो सौ रुपये) तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–45 दिनांक–30.07.15 द्वारा ₹3,67,44,600/– (तीन करोड़ सड़सठ लाख चौवालीस हजार छः सौ रुपये) मात्र राशि के

व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति राज्य सरकार द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि के नियम – 6बी के तहत प्रदान की गई थी। इसके तहत भी आवंटित राशि अंतर्गत अवशेष राशि से आगामी छः माह (द्वितीय किस्त) के लिए राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उक्त स्वीकृत एवं आवंटित राशि अंतर्गत अवशेष राशि से अगामी छः माह (द्वितीय किस्त) के लिए छात्रवृत्ति मद में राशि की विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि के व्यय का विकलन पूर्व की भांति ही मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृत्तियां एवं प्रोत्साहन, उप शीर्ष–0105–प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति, विपत्र कोड P2202011090105, विषय शीर्ष–34 01–छात्रवृत्ति/वजीफा में उपबंधित राशि से होगा।

4. राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयानुसार राजकीय, राजकीयकृत सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य कोटि के छात्रों के लिए कक्षा I से IV तक के लिए प्रति छात्र ₹50/– प्रतिमाह की दर से, कक्षा V से VI तक के लिए प्रति छात्र ₹100/– प्रतिमाह की दर से तथा कक्षा VII से VIII तक के लिए प्रति छात्र ₹150/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है।

5. (I) योजना का कार्यान्वयन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावित राशि से संबंधित आवश्यकतानुसार संशोधित आवंटन निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना) को उपलब्ध करायी जायेगी। तदुपरान्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना) के द्वारा राशि का उपावंटन संबंधित प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किया जायेगा। प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा लाभुक छात्रों की सूची संलग्न कर विद्यालयवार राशि की निकासी संबंधित कोषागार से BTC-43 विपत्र पर की जायेगी। उक्त सूची में छात्रों का नाम, माता/पिता का नाम एवं पता, कक्षा, क्रमांक, योजना का नाम, अवधि, छात्रवृत्ति की दर, बैक खाता संख्या/ माता/पिता का खाता संख्या, IFSC Code एवं कुल राशि का विवरण सूची संलग्न की जायेगी। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा तैयार किए जानेवाले उक्त सूची में यह भी अंकित किया जायेगा कि लाभुक छात्रों नामांकित एवं अध्ययनरत है। स्वीकृत राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा अंतर्गत संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना) द्वारा महालेखाकार कार्यालय में विधिवत् जमा कराया जाएगा।

छात्रवृति की राशि लाभुक छात्रों अथवा उनके माता/पिता के खाते में अंतरित की जानी है। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि का वितरण नहीं किया जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लाभुकों की सूची बैंक खाता संख्या के साथ अपने संबंधित बैंक को उपलब्ध करायेंगे, ताकि बैंक लाभुक छात्रों उक्त सूची (Advice) के अनुरूप एक साथ RTGS/NEFT के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि अंतरित करेंगे।

(II) योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी होगी। राज्य स्तर पर यह कार्य निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(III) इस मद की राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–../ दिनांक–......................../

प्रतिलिपि– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –.......96......../ दिनांक–..27/1/16../

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, व्यय शाखा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (यो० एवं ले०) / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/सभी प्रखण्ड के चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक निदेशक (योजना), शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/1/16
संयुक्त सचिव।